राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0

23 एफ कमीनपुरा– 335027 , तह0 श्रीकरणपुर
जिला– श्रीगंगानगर (राज0)

वेबसाईटः **www.rajexcise.gov.in**ई–मेल : **rsgsmsgnr@yahoo.co.in**

निविदा आमंत्रण सूचना

नई फैक्ट्री 23 एफ कमीनपुरा पर 40 टीपीएच बॉयलर की सफाई का कार्य

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये

सीमित निविदा

सीमित निविदा क्र0/क्रय/03/18–19/23एफ, शुगर फैक्ट्री/ दिनांकः– 14.05.2018

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने का दिनांक व समय	:	दिनांक 21.05.2018 को अप्राहन 12.00 बजे तक
निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 21.05.2018 को सायं 02.00 बजे तक

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0

23 एफ कमीनपुरा– 335027 , तह0 श्रीकरणपुर
जिला– श्रीगंगानगर (राज0)

RAJASTHAN STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LTD.
23 F Teh- Srikaranpur, Sri Ganganagar – 335027 (RAJ.)
Ph. 01501-248015, 248064, Fax- 01501-248016

सिमित निविदा क्र0/क्रय/03/18–19/23एफ, शुगर फैक्ट्री/ 916 **दिनांकः– 14.05.18**

समिति निविदा आमंत्रण सूचना

1. वित्तीय वर्ष/पिराई सत्र 2017–18 में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, 23 एफ कमीनपुरा हेतु निम्न वर्णित सेवाओ/वस्तु हेतु इच्छुक सेवा प्रदाताओ/ अधिकृत विक्रेता से सिमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

कार्य	अनुमानित व्यय (रू लाख में)	बोली की वैधता अवधि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय व स्थान
40 टीपीएच बायलर की सफाई का कार्य	1.60	30 दिन	21.05.18 को अप्राहन 12:00 बजे तक	21.05.18 को सांय 02:00 बजे
Filter, Dehydration, Testing of Transformer oil	1.95	30 दिन	21.05.18 को अप्राहन 12:00 बजे तक	21.05.18 को सांय 02:00 बजे

2. किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार आरएसजीएसएम, प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।
3. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक द्वारा निविदा में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। संस्थान में वर्तमान में सेवारत कार्मिक के परिवार के सदस्यों द्वारा भी निविदा में भाग लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी, पुत्र ,पुत्री (दत्तक पुत्र ,पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे। यदि संस्थान में कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा निविदा में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
4. निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.rajexcise.gov.in or www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है
5. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार श्रीकरणपुर स्थित न्यायालय होंगे।

महाप्रबंधक
राज0 स्टेट गंगानगर शुगर
मिल्स लि0

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0

23 एफ कमीनपुरा– 335027 , तह0 श्रीकरणपुर
जिला– श्रीगंगानगर (राज0)

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	
परिचय	
निविदा क्रमांक	**सीमित निविदा/03/2018–19/23 एफ कमीनपुरा**
उपापन संस्थान	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
निविदा जिसको प्रस्तुत करनी है, अथवा कोई स्पष्टिकरण वाछिंत है	महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, 23एफ कमीनपुरा तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ई–मेल : rsgsmsgnr@yahoo.co.in
दरों की वैधता अवधि	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिवस
अधिकृत करना	निविदादता के लैटर हैड पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी या अधिकृति पत्र
निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करना	rajexcise.gov.in or sppp.raj.nic.inपर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।
निविदा डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 21.05.2018 को 12.00 बजे तक वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in से या क्रय शाखा 23एफ कमीनपुरा तह0 श्रीकरणपुर से प्राप्त किए जा सकते है।
निविदा खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 21.05.2018 सांय 2.00 बजे क्रय शाखा 23एफ कमीनपुरा तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
प्रथम अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता	महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लि0, 23 एफ कमीनपुरा, तह0 श्रीकरणपुर।
द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम व पता	वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय जयपुर

मैं/हम ....(व्यक्ति/फर्म/कंपनी आदि) बहैसियत ....(पदनाम/प्रास्थिति) द्वारा समस्त बिड दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं इसके समस्त प्रावधानों व शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर कर दिये गये हैं। मेरी/हमारी जानकारी निम्नानुसार है–

व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम ——————————————————

——————————————————

——————————————————

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0

23 एफ कमीनपुरा– 335027 , तह0 श्रीकरणपुर
जिला– श्रीगंगानगर (राज0)

कार्यालय पता ____________________________

____

____

दूरभाष संख्या

कार्यालय ....

निवास ....

फैक्ट्री ....

फैक्स ....

ई–मेल ....

मोबाईल ....

नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें।

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0

23 एफ कमीनपुरा– 335027 , तह0 श्रीकरणपुर
जिला– श्रीगंगानगर (राज0)

वित्तीय वर्ष 2018–19 में शुगर फैक्ट्री 23 एफ पर 40 टीपीएच बॉयलर की सफाई का कार्य के संबंध में विशेष शर्तें

टिप्पणी–लोक उपापन के संबंध में ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012'' एवं ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013'' प्रभावशील हैं एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है। अतः समस्त बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इन नियमों से भलीभांति परिचित हो लेवे। यदि लोक उपापन अधिनियम , नियम तथा इस बोली दस्तावेज के किन्हीं प्रावधानों के बीच असाम्यता हो तो अधिनियम , नियम में उल्लेखित प्रावधान तथा आशय ही मान्य/प्रभावी रहेगा।

पिराई सत्र 2018–19के दौरान राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 कमीनपुरा में बॉयलर की सफाई का कार्य की विशेष शर्तेः–

1. The scope of the successful tendered & other terms & conditions would be as noted below:

1. कमीनपुरा स्थित नई शुगर मिल के 40 टी.पी.एच. बायलर की ट्यूब की बाहरी सतह की सफाई करवानी होगी। ट्यूबों की खुरचनी इत्यादि से ट्यूबो के बाहर से सफाई करनी होगी।
2. बायलर के हैडरो की सफाई भी सफल निविदादाता द्वारा करवायी जावेगी।
3. सफाई का कार्य सहायक अभियन्ता (बायलर) व मुख्य अभियन्ता को समय–2 पर चैक करवाना होगा तथा उनके निर्देशो की पालना करनी होगी।
4. ट्यूब की सफाई हेतु पैड बाधंने की आवश्यकता हुई तो स्वयं को बांध कर सफाई करनी होगी तथा पैड का सामान फैक्ट्री में जहां पर होगा वह बता दिया जावेगा उसको आप द्वारा स्वयं खोलकर व लाकर बांधना होगा।
5. वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवम् बायलर्स द्वारा ओपन निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी, ट्यूब व अन्य कार्य के सफाई में पाई जाती है तो उसके लिये आप तुरन्त श्रमिक लगाकर उस कमी को पूरा करना होगा।
6. सफाई का कार्य सन्तोषजनक होने के उपरान्त बायलर के ड्रमो व हैडर के अन्दर रंग का कार्य करवाना होगा तथा उसकी सफाई करनी होगी तथा समय–2 पर कम्पनी प्रतिनिधि को चैक करवाना होगा तथा बायलर की सफाई व रंगाई से संबंधित जो भी कार्य होगें व आप द्वारा करने होगे। हैडरो पर रंग के दौरान लगा अतिरिक्त रंग भी हटाना होगा।
7. सफाई के दौरान निकलने वाली राखी व कचरे को आप द्वारा, राखी यार्ड में तथा कचरा बताये गये स्थान पर डालना होगा।
8. सफाई हेतु प्रतिदिन पर्याप्त संख्या में श्रमिक कार्य पर लगाकर निर्धारित 60 दिनो की समयावधि में सम्पूर्ण कार्य पूरा करना होगा। कार्य की आवश्यक्ता को देखते हुए निर्देशानुसार श्रमिक भी बढाने पडेंगे।
9. बॉयलर के कम्बयूशन चैम्बर की स्क्रीन ट्यूब की बाहरी साईड की सफाई का कार्य करने हेतु पैड बांधने व खोलने का कार्य आप द्वारा स्वयं करना होगा तथा फैक्ट्री में सामान जहां भी होगा वहां से खोलकर लाकर बांधना होगा तथा खोलकर सामान बताये स्थान पर रखना होगा।

10. दोनों ड्रमो (स्टीम व मड ड्रम) की अन्दर की मय निपल सफाई, कम्बयूशन चैम्बर टयुब व स्क्रीन टयुब, इन्टरनल फिटिंग की सफाई, सुपरहीटर क्वाईले, इकोनोमाईजर ट्यूब, मैन बैंक ट्युब की आउट साईड व इन साइड किलीनिग कार्य, हैडरो की आउट साईड क्लीनिंगं। सफाई का कार्य आप द्वारा करना होगा तथा सफाई के लिये जो भी आवश्यक व्यवस्था हो वह करनी होगी तथा सफाई के उपरान्त, दोनो ड्रम व इन्टरनल फिटिंग पर रंग सफल निविदादाता द्वारा किया जावेगा। कार्य में Main Bank Tube 2"की Internal कार्य भी सम्मलित है व एयर हीटर ट्युब की आउट साइड व इन साइड क्लीनिंग कार्य सम्मिलित है। टैंक के बाहर व अन्दर करना होगा।
11. कार्य (दिन) जनरल पारी में दिन में करना होगा।
12. बायलर का डीहेटर हैड फीड टैंक, डी0 एम0 टैक है व सफाई कुचरकर भी सफल निविदादाता द्वारा करनी होगी तथा सफाई करने के उपरान्त रंग का कार्य भी करना होगा। जो कि पेन्टिग बुश से किया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो पहले करके फिर पेन्ट करना होगा।
13. सफाई करके कचरा बताये गये स्थान पर डालना होगा तथा उसके उपरान्त रंग करना होगा।
14. सफाई का कार्य करने के उपरान्त चैक करवाकर ही रंग का कार्य करना होगा।
15. पैड बांधने के वास्ते सामान फैक्ट्री के अन्दर से लाकर बायलर पर व्यवस्था करनी होगी और कार्य समाप्त होने के बाद बताये गये स्थान पर रखना होगा।
16. शर्तो में बताये गये सफाई कार्य के अतिरिक्त बायलर सफाई संबंधी यादि कोई कार्य होगा तो वह भी सफल निविदादाता द्वारा किया जावेगा।
17. बायलर की सफाई का कार्य 60 दिवस में पूर्ण करना होगा तथा कार्य दिवस आदेश प्राप्ति या एल0ओ0आई से माना जायेगा अन्यथा नियमानुसार कटौती की जावेगी। कार्य दिवस अवकाश को छोड़कर माने जावेगे।
18. कार्य के दौरान यदि कोई बैफल या रिफैक्ट्री टूटती है तो उसे आपको सही करवानी होगी अन्यथा किसी दूसरे माध्यम से कम्पनी द्वारा करवाई जाकर अधिक खर्च राशि की वसूली आपसे की जावेगी।
19. बायलर ID Fan, FD Fan, SA Fan, Esp Unit Complete तथा उपरोक्त सभी डक्ट नये बायलर के Combution Chamber से चिमनी तक जो भी डक्ट होगी वह सफाई करनी होगी तथा आवश्यकतानुसार रंग भी करना होगा। उपरोक्त में बायलर की चिमनी का सफाई कार्य सम्मलित नहीं है।
20. बायलर से संबंधित जो भी सफाई कार्य संबंधित अभियन्ता के द्वारा आवश्यक समझे जावेगा वह भी करने होगें।
21. यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य समाप्त नही किया जाता है तो कम्पनी शेष कार्य आप के हर्जे खर्चे पर अन्य माध्यम से करवाने के लिए स्वतंत्र होगी। यदि विशेष परिस्थितीयो में कम्पनी द्वारा कार्य पूरा करने हेतु निर्धारित समयावधि में वृद्वि की जाती है तो विलम्बित अवधि पर निम्नानुसार लिक्वीडेटेड डेमेजेज की कटोती की जावेगीः'–
    1. निर्धारित समयावधि के – विलम्बित कार्य के कुल मूल्य का
       1/4 भाग की देरी पर = 2.50प्रतिशत
    2. 1/4 भाग से अधिक किंतु 1/2 भाग तक की देरी पर = 5प्रतिशत
    3. 1/2 भाग से अधिक किंतु 3/4 भाग तक की देरी पर = 7.5प्रतिशत

4. 3/4 भाग से अधिक देरी एवं अधिकतम सीमा = 10प्रतिशत

नोट :–(1) विलम्ब के कारणों से संतुष्ट होने पर महाप्रबन्धक, शुगर मिल, 23एफ कमीनपुरा, श्री करणपुर लिक्वीडेटेज डेमेजेज की कटौती में छूट देने हेतु सक्षम होगा।

(2) यदि प्राकृतिक विपदा हड़ताल या अन्य किसी घटना के कारण से जो आपके नियंत्रण से बाहर है कार्य अवधि में विस्तार चाहीा जाता है तो इसकी सूचना आपको घटना होने से पूर्व देनी होगी।

22. आपको कुल मूल्य की 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जारी होने के 15 दिन मे जमा करानी होगी जिसे अनुबंध के सफलतापूर्वक निष्पादन के बाद बिना ब्याज लौटायी जावेगी।
23. सभी केन्द्रीय/राजकीय नियमों की पालना करनी होगी। निविदा सूचना में अंकित सभी शर्तो की पालना करनी होगी। नियमानुसार अनुबंध निर्धारित राशि के स्टाम्प पर करना होगा।
24. आप द्वारा कार्य पर रखने वाले श्रमिको का विवरण मिल के सुरक्षा गेट पर प्रतिदिन इन्द्राज कराना आवश्यक होगा एवं प्रतिदिन उपस्थित दर्ज करानी होगी।
25. भविष्य निधि शाखा में वांछिंत रिर्टन भरकर देनी होगी एवं कार्य पर रखें गयें श्रमिकों कों नियुक्ति तिथि से भविष्य निधि का लाभ देना होगा।
26. कार्य पूर्ण करने के पश्चात् श्रमिकों का सवेतन अवकाश फार्म न0 16 में भरकर समय पालन शाखा में देना होगा।
27. नियमानुसार लागू कर जैसे आयकर एवं सर्विस टैक्स की कटौती आप के बिलों से की जावेगी।
28. आप द्वारा कार्य पर रखने वाले श्रमिको के लिये पर्याप्त राशि का दुर्धटना बीमा कराना होगा जिससे कोई दुर्घटना होने पर श्रमिकों को देय क्षतिपूर्ति राशि आदि का भुगतान बीमा कम्पनी से कराया जा सकें। यदि बीमा कम्पनी देय राशि का पूरा भुगतान नही करती है तो शेष राशि का भुगतान का दायित्व आपका होगा। बीमा पॉलिसी की मूल प्रति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व फैक्ट्री में जमा करानी होगीं।
29. यदि आपके श्रमिकों/कर्मचारियों की वजह से कम्पनी की कोई हानि होती है, तो उस हानि की वसूली आपसे की जावेगी।
30. आपकों कान्टैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड अबोलिशन) एक्ट 1970 एवं बाद में उक्त एक्ट में कियें गए संशोधन सहित इसके समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी।
31. दो प्रतियो में सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।
32. कार्य बीच में छोडने पर, समय पर पूर्ण नही करने पर आपकी रिस्क एंड कोस्ट पर करवाया जाकर अधिक व्यय की वसूली आपकी इस अनुबन्ध व अन्य अनुबन्धों के द्वारा जमा राशियों से की जा सकेगी। शेष अधिक राशि की वसूली विधिक रूप से की जावेगी।
33. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने या कार्य संतोषजनक नहीं करने की स्थिति में इस अनुबन्ध के अन्तर्गत जमा धरोहर राशि आंशिक अथवा पूर्ण जब्त की जा सकेगी।
34. आप द्वारा काम पर लगाये गये श्रमिको/कर्मचारियो को भुगतान कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि के सामने करना होगा उसके बाद आपको बिल का भुगतान किया जावेगा।
35. आप द्वारा कोई बाल श्रमिक नहीं लगाया जायेगा।
36. आपको अपने अधिनस्थ श्रमिकों का फार्म न. 2 भरकर भविष्य निधि शाखा में देना होगा।

37. ठेका कार्य शर्तो के अनुरूप सही ढंग से नही करने पर अनुबन्ध अवधि के दौरान भी कभी भी अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगां।
38. यदि आपका कोई श्रमिक कार्य सही ढंग से नही करता है। व कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे हटाना होगा।
39. किसी भी अपराधिक मामले में लिप्त या नशा किये हुये व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जावें।
40. यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ नही किया जाता है तो कम्पनी आपके हर्जे खर्चे पर कार्य अन्य माध्यम से करवाने के लिए स्वतंत्र होगी।
41. निविदा फार्म की अन्य सभी शर्ते लागू होगी।
42. किसी भी विवाद की दशा में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा नामांकित व्यक्ति एक मात्र पंच होगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
43. न्यायायिक क्षेत्राधिकार श्रीगंगानगर होगा।
44. As per instructions of circular No. 3/2013 Dated 04-02-2013 finance (G&T)Department, Govt. of Rajasthan Annexure enclosed. Please read carefully and comply :-

    Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No. Conflict of Interest
    Annexure B : Declaration by Bidders regarding Qualifications
    Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process
    Annexure D : Additional Conditions of Contract
45. Income tax and other taxes shall be deducted at source from the bills of successful tenderer as applicable and no reimbursement of the same shall be made by RSGSM Ltd.,
46. No counter condition shall be accepted.
47. In case of any deviation in special terms and conditions from general terms & conditions, then the special terms and conditions shall prevail upon.

Signature and seal of Tenderer

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0

23 एफ कमीनपुरा– 335027 , तह0 श्रीकरणपुर
जिला– श्रीगंगानगर (राज0)

सामान्य शर्तेः–

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।
2. सभी केन्द्रीय/ राजकीय नियमों की पालना करनी होगी। निविदा सूचना में अकिंत सभी शर्तो की पालना करनी होगी। नियमानुसार अनुबन्ध निर्धारित राशि के स्टाम्प पर करना होगा।
3. ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये सभी श्रमिकों का विवरण मिल के सुरक्षा गेट पर प्रतिदिन इन्द्राज कराना आवश्यक होगा एवं प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
4. निविदादाता की कोई कांउटर शर्त मान्य नही होगीं।
5. भविष्य निधि शााखा में वाछिंत रिर्टन भरकर देनी होगी एवं कार्य पर रखें गयें श्रमिकों कों नियुक्ति तिथि से भविष्य निधि का लाभ देना होगा।
6. कार्य पूर्ण करने के पश्चात् श्रमिकों का सवेतन अवकाश फार्म न0 16 में भरकर समय पालन शाखा में देना होगा।
7. नियमानुसार लागू कर जैसे आयकर एवं GST की कटौती सफलनिविदादाता के बिलों से की जावेगी।
8. ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखने वाले श्रमिको के लिये पर्याप्त राशि का दुर्धटना बीमा कराना होगा जिससे कोई दुर्धटना होने पर श्रमिकों को देय क्षतिपूर्ति राशि आदि का भुगतान बीमा कम्पनी से कराया जा सकें । यदि बीमा कम्पनी देय राशि का पूरा भुगतान नही करती है। तो शेष राशि का भुगतान का दायित्व सफल निविदादाता का होगा। बीमा पॉलिसी की मूल प्रति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व फैक्ट्री में जमा करानी होगी।
9. यदि सफल निविदादादाता के श्रमिकों/कर्मचारियों की वजह से कम्पनी की कोई हानि होगी है,तो उस हानि की वसूली सफल निविदादाता से की जावेगी।
10. दो प्रतियां में सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।
11. कार्य नही करने पर ठेकेदार की रिस्क एंड कोस्ट पर कार्य अन्य माघ्यम से करवाया जाकर अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार की इस अनुबन्ध व अन्य अनुबन्धों द्वारा जमा राशियों से की जा सकेगी। शेष अधिक राशि की वसूली विधिक रूप से की जावेगी। ठेका अवधि के दौरान कभी भी अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार महाप्रबंधक राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मि0 लि0, श्रीगंगानगर के पास सुरक्षित होगा।
12. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लधन करने या कार्य संतोषजनक नही करने की स्थिति में इस अनुबन्ध के अन्तर्गत जमा धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि आंशिक अथवा पूर्ण जब्त की जा सकेगी।
13. सफल निविदादाता द्वारा काम पर लगाये गये श्रमिकों/कर्मचारियों का भुगतान कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि के सामने करना होगा उसके बाद सफल निविदादाता को बिल का भुगतान किया जावेगा।
14. सफल निविदादाता को कार्य आदेश मिलने के एक सप्ताह की अवधि में प्रारम्भ करना होगा तथा निर्धारित समयावधि में कार्य संतोषजनक समाप्त करना होगा ।
15. सफलनिविदादाता कोई बाल श्रमिक नही लगायेगा।
16. सफल निविदादाता को अपने अधीनस्थ श्रमिकों का फार्म नं.2 भरकर निधि शाखा में देना होगा।
17. किसी भी निविदा को बिना कारण के स्वकार/अस्वीकार करने का अधिकार महाप्रबंधक के पास सुरक्षित रहेगा।

18. ठेका कार्य शर्तो के अनुरूप सही ढ़ग से नही करने पर अनुबन्ध अवधि के दौरान भी कभी भी अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार महाप्रबंधक के पास सुरक्षित रहेगा।
19. यदि सफल निविदादाता को कोई श्रमिक कार्य सही ढ़ग से नही करता है व कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे हटाना होगा।
20. किसी भी अपराधिक मामले में लिप्त या नशा किये हुये व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जावें।
21. निविदा प्रपत्र में पैन नम्बर लिखना आवश्यक होगा।
22. यदि सफल निविदादाता द्वारा आदेशित/आवश्यक्तानुसार मात्रा में कार्य नही किया जाता है तो ऐसी स्थिती में कम्पनी निविदादाता की रिस्क एवं कॉस्ट पर शेष कार्य करवाने के लिये स्वतत्र होगी और इस कारण से अधिक व्यय हुई राशि अथवा स्वीकृत दर की डेढ गुणी दर से नही किये गये कार्य की कीमत में से जो अधिक हो उसकी वसूली निविदादाता से की जावेगी।
23. किसी भी विवाद की दशा में महाप्रबंधक द्वारा नामांकित व्यक्ति एक मात्र पंच होगा जिसका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगां
24. न्यायिक क्षेत्राधिकार श्रीगंगानगर होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0

23 एफ कमीनपुरा– 335027 , तह0 श्रीकरणपुर
जिला– श्रीगंगानगर (राज0)

वित्तिय बिड

सीमित निविदा क्र0 / क्रय / 03 / 18–19 / 23एफ, शुगर फैक्ट्री / **दिनांकः– 14.05.2018**

कार्य का विवरणः– **पिराई सत्र 2018–19 के दौरान राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 23 एफ कमीनपुरा श्री गंगानगर पर 40 टी.पी.एच बॉयलर की सफाई का कार्य**

निविदादाता का नाम व पत्राचार का पूरा पता, मोबाईल नम्बर / लैण्ड लाइन नम्बर सहित।

नाम...

पता...

....

....

मो0 ....   लैण्ड लाईन फोन नं0..................................

1. निविदादाता का अन्य विवरण
   बैंक का नाम व पूरा पता जहां बैंक संचालित है।

   ....

   ....

खाते का प्रकार (सी सी / एसबी / चालू)

खाता नं0 ....   पैन नम्बर ....

2. निविदा किसको संबोधित की गई है : महाप्रबन्धक ,राज.स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.,श्रीगंगानगर

3. हस्ताक्षरकर्ता किस पद से हस्ताक्षर कर रहा है। (फर्म है तो मालिक ,पार्टनर आदि)
4. हम निविदा सूचना में अंकित सभी शर्तो एवं संलग्न अनुसूची में 'अ' एव 'ब' मे अंकित सभी शर्तो को स्वीकार करते है एवं इसी संदर्भ के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करते है।
5. हम कार्य आदेश प्राप्ति के बाद शुगर मिल द्वारा निर्धारित समय अवधि मे कार्य प्रारंभ कर देगें।
6. मै /हम उपरोक्त अंकित कार्य करने हेतु राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0, श्री गंगानगर द्वारा जारी निविदा सूचना एवं टेण्डर प्रपत्र (बिड डाक्यूमेंट)में अंकित शर्तो पर अपनी दरे निम्नानुसार आफर करता हूँ/ करते है, जो टेण्डर खुलने की दिनांक से तीन माह तक मान्य होगी जिसे पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

क्र.सं0	आफर की गई दर (प्रति दिन)			
	कार्य का नाम	राशि अंको मे	जी.एस.टी दर	कुल राशि
1.	**40 टी.पी.एच बॉयलर की सफाई का कार्य**			

दिनांक :–
स्थानः–

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0

23 एफ कमीनपुरा– 335027 , तह0 श्रीकरणपुर
जिला– श्रीगंगानगर (राज0)

हस्ताक्षर निविदादाता